झारखण्ड सरकार

भवन निर्माण विभाग

ज्ञाप संख्या–भ०नि०–5–बजट (यो०)–532/21-428(अ)/राँची, दिनांक–04-3-22

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल–1, राँची।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2021–22 में व्यय शीर्ष–4216–आवास पर पूँजी परिव्यय–01–सरकारी रिहायशी भवन–796–जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना–उप शीर्ष–14–सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–मुख्य निर्माण कार्य–विपत्र कोड–03S42160179614000545 के अन्तर्गत निधि का आवंटन।

आदेशः– उपर्युक्त व्यय शीर्ष के अंतर्गत निम्न सूची में उल्लिखित कार्य के सामने कॉलम–6 में अंकित राशि आवंटित की जाती है :–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	2020–21 तक कुल आवंटन/व्यय	2021–22 में पूर्व में आवंटन	2021–22 में वर्त्तमान आवंटन	2021–22 में कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	Renovation of Officer's Flat no.-13/28 at Doranda, Ranchi (स्वीकृत्यादेश सं०–528(भ) दिनांक– 20.01.2022)	43,14,300/–	–	–	43,14,300/–	43,14,300/–
2	Renovation of Senior Officer's Qtr no.-02 at Dindayal Nagar, Morhabadi, Ranchi (स्वीकृत्यादेश सं०–527(भ) दिनांक– 20.01.2022)	42,32,200/–	–	–	42,32,200/–	42,32,200/–
3	Renovation and restoration of main building as Heritage Building at Hon'ble Ex-CM Sri Sibu Soren residence at Morhabadi, Ranchi (स्वीकृत्यादेश सं०–307(भ) दिनांक– 20.10.2021)	4,59,86,000/–	–	–	2,75,00,000/–	2,75,00,000/–
4	Supply furniture and furnishing for work of Hon'ble Chief Minister office (Old RDC & SDO residence) at Mayer's Road, Ranchi (स्वीकृत्यादेश सं०–480(भ) दिनांक– 31.12.2021)	38,77,300/–	–	–	38,77,300/–	38,77,300/–

5	*Renovation of remaining work of main building, Construction of Septic tank and Toilet of Senior officer's Bungalow no.-1 at Circular Road, Jail Chowk, Ranchi* (स्वीकृत्यादेश सं०-413(भ) दिनांक- 06.12.2021)	39,16,600/-	-	-	41,48,046/-	41,48,046/-
कुल :-				-	4,40,71,846/- (चार करोड़ चालीस लाख एकहतर हजार आठ सौ छियालीस रू0 मात्र)	4,40,71,846/- (चार करोड़ चालीस लाख एकहतर हजार आठ सौ छियालीस रू0 मात्र)

(2) आवंटित राशि व्यय शीर्ष-4216-आवास पर पूँजी परिव्यय-01- सरकारी रिहायशी भवन-796-जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना-उप शीर्ष-14- सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-मुख्य निर्माण कार्य-विपत्र कोड- 03S42160179614000545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से विकलनीय है।

(3) आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561/वि0 (2) दिनांक- 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि0 दिनांक-15/07/03, पत्रांक- 533/वि0 दिनांक-03/03/04 एवं पत्रांक-1681/वि० दिनांक-10.06.15 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं परिपत्र के आलोक में की जाय।

(4) आवंटित राशि से अधिक अथवा अन्य मदों में व्यय किसी भी परिस्थिति में नही किया जाय।

(5) आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 15 तारीख तक टी0भी0 नं0, चेक नम्बर एवं तिथि के साथ महालेखाकार एवं विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय।

(6) इस राशि से किसी भी परिस्थिति में बिना पूर्वानुमति के सेल्फ चेक की निकासी नहीं की जाय।

(7) कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक ईकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके।

(8) आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 में अंकित निर्देश के आलोक में किया जाय। वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखो में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अनुदेशों का भी दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय।

(9) इसकी सूचना महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा), झारखण्ड, राँची को दी जा रही है।

(10) राशि की निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता,2016 का सख्ती से अनुपालन किया जाय अर्थात तुरन्त भुगतान हेतु आवश्यक राशि से अधिक राशि की निकासी नहीं की जाय।

(11) यह सुनिश्चित किया जाय कि बिना पूर्वानुमति के अनुज्ञेय सीमा से अधिक राशि का व्यय न हो।

(12) लोक निर्माण संहिता में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर इस योजना का कार्यान्वयन किया जाय। बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए कोई राशि इस योजना में व्यय नहीं किया जाय।

(13) कार्य के निष्पादन में महालेखाकार द्वारा समय-समय पर उठाई गई आपत्तियाँ यथा टेंडर निष्पादन में विलम्ब, माइन्स विभाग के परिपत्र के आलोक में रायल्टी कटौती नहीं होना (बिना खनन विभाग के क्लीयरेन्स के दोगुना देय होगी) तथा गुणवत्ता की कमी इत्यादि की पुनारावृत्ति नहीं होनी चाहिये। Quality Testing कर भुगतान हो एवं ऐसा प्रयास हो कि पुनः आपत्ति न आए।

(14) सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाय। अंकेक्षण आपत्तियों का प्राथमिकता से अंकेक्षण के दौरान एवं प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निष्पादन करते हुए उसे Drop कराने की कार्रवाई की जाय।

(15) महालेखाकार/विभाग के निर्देशानुसार त्रैमासिक/वार्षिक लेखा का विभाग/महालेखाकार कार्यालय से मिलान कर त्रुटियों का निराकरण करना सुनिश्चित किया जाय।

(16) संबंधित योजना की तकनीकी स्वीकृति की सूचना शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

(17) कार्य योजना के विरूद्ध व्यय/भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्यो की डुप्लीकेटिंग नहीं हो रही है। दोषी पाये जाने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्बद्ध राशि वसूलनीय होगी।

(18) कंडिका-। के कॉलम-4 में अंकित राशि कार्यपालक अभियंता द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार है।

(19) निदेश दिया जाता है कि संबंधित कार्यालय प्रधान से संतुष्टी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही संवेदक को अंतिम भुगतान करेंगे।

(20) स्वीकृत योजना में विचलन होने पर सक्षम स्तर से स्वीकृत विस्तृत प्रतिवेदन के साथ राशि की मांग की जाय।

(21) कार्यकारी एजेंसी किसी भी नवनिर्माण/जीर्णोद्धार/अनुरक्षण/मरम्मति/सुसज्जीकरण संबंधी योजना हेतु विभाग से आवंटन की मांग के पूर्व योजना से संबंधित विवरणी को MIS में प्रविष्ट करेंगे। तदोपरान्त ही विभागीय सत्यापन के पश्चात् राशि की विमुक्ति पर विचार किया जाएगा।

(22) अनुरक्षण/मरम्मति/सुसज्जीकरण संबंधी मामलों में कार्यकारी एजेन्सी को अभियंता प्रमुख के कार्यालय में प्राक्कलन भेजना आवश्यक होगा तथा प्रस्ताव/अधियाचना भेजते समय ही पूर्व में उपलब्ध करायी गई सामग्री का Stock Position व अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी तथा स्वीकृति के पश्चात् उपलब्ध कराये गये संसाधनों की Stock entry का भी दायित्व होगा।

(23) मरम्मति/जीर्णोद्धार हेतु राशि की मांग के साथ कार्यपालक अभियंता यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि उक्त भवन में विगत तीन वर्षो में समान प्रकृति का कार्य नहीं कराया गया है। साथ ही प्रस्ताव उपलब्ध कराने से पूर्व प्राक्कलन एवं प्राक्कलित राशि पर आवासीय/गैर आवासीय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी की सहमति भी प्राप्त की जाय।

(24) किसी भी परिस्थिति में बिना सक्षम प्राधिकार के अधियाचना के नवनिर्माण/जीर्णोद्धार/अनुरक्षण/मरम्मति/सुसज्जीकरण का कार्य नहीं कराया जाय।

(25) वर्त्तमान आवंटित राशि पूर्ण रूप से व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।

(सुनील कुमार)
सरकार के सचिव।

*ज्ञापांक :- भ०नि०-5-बजट (यो०)-*428(अ)*/राँची, दिनांकः-*04.3.22*/*

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / उपायुक्त, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची कोषागार/अभियंता प्रमुख/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, छोटानागपुर भवन अंचल, राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ संयुक्त सचिव कोषांग/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार कोषांग एवं बजट प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुनील कुमार)
सरकार के सचिव।

सतीश/4216 (TSP) 141 15.02.2022

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Building Construction Department

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है ।

पत्र संख्या - 5-B (Y)-532/21/428(BH) **दिनांक -** 08-Mar-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 03 42160179614000545 4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय 01 - सरकारी रिहायशी भवन 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 14 - सरकारी आवासीय भवनों का निर्माण 00-NA 05 - निर्माण **State Scheme**	85202	RNCBLD001 AKHILESH PRASAD E.E.B.C.D.DIV.1 45 - निर्माण कार्य	44,071,846.00 रुपये चार करोड चालीस लाख इकहत्तर हजार आठ सौ छयालीस

State Scheme : CONSTRUCTION OF GOVERNMENT RESIDENTIAL BUILDINGS(0754)

Centeral Scheme : NA

योग: रुपये चार करोड चालीस लाख इकहत्तर हजार आठ सौ छयालीस 44,071,846.00

क्रमिक योग:

(SUNIL KUMAR)

SECRETARY

10.93.97.78

Run Date: 8/3/2022